

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/14/2025

रजू दिनांक: 05.02.2025

रजि0 न0 2025/21

अपीलार्थी:-

श्री राजेन्द्र भाटी पुत्र श्री फतेहसिंह भाटी, निवासी भवानी निकेतन, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास, वार्ड नं. 15, सरदार शहर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू- 331403 (राज0)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 15.04.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते हैं तो दिनांक 11.02.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/749 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI Online Portal पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत Online Application No. 293836187970276 Date 04-10-2025 के संबंध में कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना संकलित कर, आवेदन के परिपेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में ऑनलाईन पत्र सं. 7765821269 दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदक को ऑनलाईन व डाक के माध्यम से भी सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में ऑनलाईन पत्र सं. 7765821269 दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदक को ऑनलाईन व डाक के माध्यम से भी सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/750 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)